

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज०)

पीठीसीन अधिकारी :-

वाद पत्र संख्या :-

प्रमोद कुमार (RAS)

13/2020

1. मुकेश कुमार आयु 29 साल आ० मांगीलाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०

— वादी

बनाम

1. मांगीलाल आयु 65 साल आ० कान्हा जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०
2. महावीर आयु 31 साल आ० मांगीलाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०
3. सोनू कुमार आयु 25 साल आ० मांगीलाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज०
4. राजस्थान राज्य सरकार जर्गे तहसीलदार के०पाटन

— प्रतिवादीगण

वाद:- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज० टि० एक्ट

उपस्थिति :-

- 1— वादीगण की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
- 2— प्रतिवादी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांक: 13.03.2020

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 89 व पुराना 92 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3073/2691 रकबा 2.28 है० वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में विस्थित है। मूल पुरुष मांगीलाल है। मांगीलाल के पुत्र वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं. 2 महावीर एवं प्रतिवादी सं. 3 सोनू कुमार है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी पृथक से निवास कर रहा है। स्वयं तथा अपने परिवार का


पालन-पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तकरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को विधिवत रूप से 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की और से दिनांक 11.03.2020 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.03.2020 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 89 व पुराना 92 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3073/2691 रकबा 2.28 है० वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इबादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाबा दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के० पाटन

इजलास - प्रमोद कुमार
आर.ए.एस.

मुकेश कुमार v/s मांगीलाल वगै०

वाद:- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 13/2020


वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव की उपस्थिति में आज दिनांक 13.03.2020 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-

"वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नया 89 व पुराना 92 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3073/2691 रकबा 2.28 है० वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) पटवार हल्का जैथल तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4-1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ग मुबलिक ग बाबत ग खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शरह ग फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी
तक ग को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/03/2020 को जारी की गई।

(मोहर)


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन